सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 217/2021 दायर दिनाँक 16.08.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. लीलाधर पुत्र बंशीधर 2. दामोदरलाल पुत्र बलूराम समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी मौलासर, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुमित्रा देवी पत्नि लीलाधर 2. विनोद कुमार पुत्र बंशीधर 3. कैलाशचन्द पुत्र बलुराम 4. सोहनलाल पुत्र बलुराम 5. सत्यनारायण उर्फ मुन्नीलाल पुत्र बलुराम 6. अशोक पुत्र बलुराम 7. भंवरलाल पुत्र किशनलाल 8. हनुमान प्रसाद पुत्र किशनलाल 9. द्वारका प्रसाद पुत्र किशनलाल समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलरा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 19.01.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 462 रकबा 5.10 बीघा वाकै मौलासर स्थित है, जिसकी खातेदारी वादी लीलाधर प्रतिवादी नम्बर 02 विनोद कुमार, वादी नम्बर 02 दामोदर लाल, प्रतिवादी कैलाशचन्द्र, सोहनलाल, सत्यनारायण उर्फ मुन्नीलाल, प्रतिवादी नम्बर 07 ता 09 के पिता किशनलाल व उंकारमल के नाम से शुरूवात में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, इस भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा होरक खसरा सं0 462 रकबा 5.10 बीघा में से 1.17 बीघा वादी लीलाधर के बंट में आयी तथा खसरा सं0 462 रकबा 5.10 बीघा में से नये बने खसरा सं0 462/1 रकबा 1.17 बीघा भूमि प्रतिवादी भंवरलाल, हनुमानप्रसाद व द्वारका प्रसाद व इनके पिता किशनलाल के बंट में आयी तथा खसरा सं0 462 रकबा 5.10 बीघा में से नये खसरा सं0 462/2 रकबा 1.16 बीघा वादी नम्बर 02 दामोदरलाल व प्रतिवादी कैलाशचन्द, सोहनलाल व सत्यनारायण, अशोक के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने बंट में आये खेतो पर काबिज चले आ रहे है, तथा स्व0 उंकारमल व सम्पत कुमार के दूसरे खेत बंट में आ गये थे, जिनका इस खेत से कोई सरोकार नही है। जमाबन्दी की नकल संवत् 2056—2059 में इनका पूरा उल्लेख है, जो वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी नम्बर 01 लीलाधर इनके भाई स्व0 लक्ष्मीनारायण व विनोद के नाम से उक्त शामलाती [illegible] का कानूनी रूप से बंटवारा होकर प्रत्येक के 1/3 हिस्सा [illegible]धर के नाम से खसरा सं0 462 रकबा 0.12 बीघा [illegible] सं0 1025/462 रकबा 0.13 बीघा [illegible] व कब्जा काश्त में आयी तथा शेष [illegible] 0.12 बीघा प्रतिवादी सं0 02 विनोद के बंट व कब्जा काश्त में आयी [illegible] लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने हिस्से की 0.13 बीघा जमीन प्रतिवादी सं0 01 सुमित्रा को बेच देने से उसके नाम से खातेदारी दर्ज हो ग़यी, तथा इसी प्रकार वादी नम्बर 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

लीलाधर, प्रतिवादी सं0 01 सुमित्रा देवी व प्रतिवादी सं0 02 विनोद अपने–अपने बंट में आये अर्थात तीनो के 0.10 हैक्टे0 बंट में आये। हिस्सो पर अबाध रूप से काबिज है, तीनो जमाबंदियों संवत् 2072–75 की वाद के साथ पेश है। इसी प्रकार खसरा 462/1 रकबा 1.17 बीघा की खातेदारी स्व0 तुलसी देवी के वारिसान प्रतिवादी भंवरलाल, हनुमान प्रसाद व द्वारका प्रसाद की खातेदारी में दर्ज हो गयी तथा खसरा सं0 462/2 रकबा 1.16 बीघा की खातेदारी वादी सं0 02 दामोदरलाल व प्रतिवादी कैलाशचन्द्र, सोहनलाल, सत्यनारायण व अशोक के खातेदारी में दर्ज हो गयी तथा स्व0 तुलसी देवी व उनके वारिसान भंवरलाल, हनुमान प्रसाद व द्वारका प्रसाद ने अपनी खातेदारी, बंट व कब्जा काश्त की भूमि को अन्य लोगो को बेचाण कर दी है, जिससे वादीगण का कोई सरोकार नही है तथा फिर बंटवारा होकर इनके नये खसरा सं0 462 रकबा 1.17 बीघा वादी अनील व प्रतिवादी सं0 01 व 02 व खसरा सं0 827/462 दामोदरलाल, कैलाशचन्द, सोहनलाल, सत्यनारायण, अशोक के नाम से दर्ज हो गयी इनका उल्लेखप वाद के साथ पेश जमाबंदी की नकल संवत् 2072–75 में है।

यह है कि वर्तमान में खेत खसरा सं0 1298 रकबा 0.29 हैक्टे0 की खातेदारी वादी नम्बर 02 प्रतिवादी सं0 03 ता 06 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा खेत खसरा सं0 1296 रकबा 0.10 हैक्टे0 की वर्तमान में खातेदारी बंटवारा होकर वादी लीलाधर के नाम से खसरा सं0 1296/1918 रकबा 0.10 हैक्टे0 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं0 02 विनोद कुमार के नाम से दर्ज है तथा खसरा सं0 1297 रकबा 0.30 हैक्टे0 की खातेदारी स्वर्गीय तुलसी देवी व उसके वारिसान की खातेदारी में दर्ज होकर अन्य खातेदारान को सम्पूर्ण भूमि अन्य को बेचाण कर चुके है। चारो जमाबंदियां संवत् 2074–77 तक की वाद के साथ पेश है।

यह है कि पुराने खसरा सं0 462/1 रकबा 1.17 बीघा के नये खसरा सं0 1297 रकबा 0.30 हैक्टे0 तथा खरसा सं0 462/2 रकाबा 1.16 बीघा के नये खसरा सं0 1298 रकबा 0.29 हैक्टे0 तथा पुराने खसरा सं0 462 रकबा 1.17 बीघा के नये खसरा सं0 1296 रकबा 0.10 हैक्टे0 खसरा सं0 1296/1917 रकबा 0.10 हैक्टे0 खसरा सं. 1296/1918 रकबा 0.10 हैक्टे0 अर्थात कुल रकबा 0.30 हैक्टे0 बन गये जिसका अंकन वर्तमान जमाबंदियों में संवत 2074–77 में है, जो वाद के साथ पेश है।

यह है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नक्शा में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी सं0 01 लीलाधर व प्रतिवादी सं0 सुमित्रा व प्रतिवादी सं0 02 विनोद की खातेदारी का अंकन नक्शा में सबसे उपर उत्तरी दिशा में स्वर्गीय तुलसी देवी व उसके वारिसान भंवरलाल, हनुमान प्रसाद व द्वारका प्रसाद की जगह कर दिया, जबकि उस जगह की सारी भूमि अन्य को बेचाण तुलसी देवी व उसके वारिसान द्वारा की जा चुकी है। जबकि वादी सं0 01 लीलाधर व प्रतिवादी सं0 01 व 02 की भूमि राजस्व नक्शा ट्रेश में सबसे नीचे दक्षिण दिशा में दर्ज रही है। तथा वही पर कब्जा हरा है तथा वर्तमान में वही पर कब्जा है तथा इसी प्रकार राजस्व नक्शा में पूर्वे में खातेदारी व भूमि का अंकन वादी सं0 02 दामोदरलाल व प्रतिवादी कैलाशचन्द्र, सोहनलाल, सत्ययनारायण व अशोक पिता बलुराम के नक्शा में अंकित भूमि के बीच में रहा है। लेकिन वर्तमून में राजस्व कर्मचारियों की गलतीह से इनकी जगह तुलसी देवी व उसके वारिसान के नाम से नाम से खातेदारी व खसरा सं0 का गलत अंकन कर दिया, जबकि तुलसी देवी के वारिसान का कब्जा काश्त व खातेदारी उत्तरी हिस्से पर रही है। तथा स्व0 बालुराम के वारिसान, प्रति[illegible]रायण उर्फ मुनीलाल, अशोक की खातेदारी व खसरा सं0 [illegible]अंकन राजस्व नकशा में बीच के बजाय दक्षिण दिश[illegible] शुरू से लेकर आज तक पूर्व में बंट[illegible] काबिज चले आ रहे है, वादीगण ने[illegible] करने बाबत नजरी नक्शा बनाया है जो वाद का भाग है नजरी नक्शा व[illegible]के साथ पेश है। वर्तमान में सही स्थिति मार्क सी नक्शे में बतायी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि खेत खसरा सं0 1297 रकबा 0.30 हैक्टे0, खसरा सं0 1298 रकबा 0.29 हैक्टे0, खसरा सं0 1296 रकबा 0.10 हैक्टे0, खसरा सं0 1296/1918 रकबा 0.10 हैक्टे0 व 1296/1917 रकबा 0.10 हैक्टे0 कुल रकबा 0.30 हैक्टे0 वाकै मौलासर का अंकन वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क सी में दर्शाये अनुसार किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 02 व 09 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 03, 04, 05, 06, 07, 08 व 10 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क सी में दर्शाये अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, नजरी नक्शा अनुरूप डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मौलासर खेत खसरा सं0 1297 रकबा 0.30 हैक्टे0, खसरा सं0 1298 रकबा 0.29 हैक्टे0, खसरा सं0 1296 रकबा 0.10 हैक्टे0, खसरा सं0 1296/1918 रकबा 0.10 व 1296/1917 रकबा 0.10 हैक्टे0 कुल रकबा 0.30 हैक्टे0 में नजरी नक्शा मार्क सी में दर्शाये अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **19.01.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **217/2021** दायर दिनाँक **16.08.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लीलाधर पुत्र बंशीधर 1. दामोदरलाल पुत्र बलूराम समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी मौलासर, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सुमित्रा देवी पत्नि लीलाधर 2. विनोद कुमार पुत्र बंशीधर 3. कैलाशचन्द पुत्र बलुराम 4. सोहनलाल पुत्र बलुराम 5. सत्यनारायण उर्फ मुन्नीलाल पुत्र बलुराम 6. अशोक पुत्र बलुराम 7. भंवरलाल पुत्र किशनलाल 8. हनुमान प्रसाद पुत्र किशनलाल 9. द्वारका प्रसाद पुत्र किशनलाल समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **19.01.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलरा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मौलासर खेत खसरा सं0 1297 रकबा 0.30 हैक्टे0, खसरा सं0 1298 रकबा 0.29 हैक्टे0, खसरा सं0 1296 रकबा 0.10 हैक्टे0, खसरा सं0 1296/1918 रकबा 0.10 व 1296/1917 रकबा 0.10 हैक्टे0 कुल रकबा 0. 30 हैक्टे0 में नजरी नक्शा मार्क सी में दर्शाये अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.01.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:11:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner